432

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

टिप्पणी एवं आदेश

उपाध्यक्ष/अध्यक्ष महोदय

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.03.93 का कार्यवृत्त सम्मुख तरफ आपके अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(सचिव)
सचिव,
म0दे0वि0प्रा0

कृपया अनुमोदनार्थ।
12/4/93

28/4/93

अध्यक्ष/आयुक्त

(432)

(443)

हरादून

03.93 का

र्थ प्रस्तुत है।

28/4/93

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक-04.03.93 में सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थिति।

1- श्री एस0के0दास,आयुक्त,गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2- डा0प्रभात कुमार,उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0	उपाध्यक्ष
3- श्री शिशिर प्रियदर्शी,जिला मैजिस्टेट,देहरादून	सदस्य
4- श्री शंकर अग्रवाल,विशेष सचिव,वित्त,उ0प्र0शासन	सदस्य
5- श्री आर0सी0द्धिवेद्धी,विशेष सचिव,उत्तरांचल विभाग	सदस्य
6- श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी,संयुक्त सचिव,आवास	सदस्य
7- श्री दीनानाथ सलूजा,अध्यक्ष,नगरपालिका,देहरादून	सदस्य
8- श्री जोत सिंह,अध्यक्ष,नगरपालिका,मसूरी	सदस्य
9- श्री आर0के0दास गुप्ता,वरिष्ठ नियोजक,नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग,उ0प्र0	सदस्य

विशेष आमंत्री:-

1- श्री नव प्रभात,मा0 सदस्य,उ0प्र0 विधान परिषद।

2- श्री बी0बी0रतन,सहयुक्त नियोजक,नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,गढ़वाल सम्भाग

अन्य उपस्थिति:-

1- श्री प्रमांशु,सचिव,म0दे0वि0प्रा0,देहरादून।

2- श्री रामपाल सिंह,अधिशासी अभियंता,म0दे0वि0प्रा0,देहरादून।

3- श्री मुकुल हटवाल,सहायक नगर नियोजक,म0दे0वि0प्रा0,देहरादून।

4- श्री विरेन्द्र मोहन उनियाल,सहायक लेखाधिकारी,म0दे0वि0प्रा0,देहरादून।

(क) गत बैठक की कार्यवाही

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा गत बैठक की कार्यवाही पढ़ी गयी तथा सर्व-सम्मति से अनुमोदित की गयी। अनुमोदन स्वरूप अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) गत बैठक की अनुपालन आख्या:-

अवलोकनोपरान्त गत बैठक की अनुपालन आख्या निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदित की गयी : कि विषय क्रमांक-2 के सम्बन्ध में बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस योजना को गुच्छुपानी सौन्दर्यीकरण के स्थान पर गुच्छुपानी विकास योजना का नाम दिया जाए।

(ग) दिनांक 4.3.93 को हुई बैठक की कार्यवाही:-

विषय क्रमांक:- 01 मसूरी हुसैनगंज (नेहरूपुरम) आवासीय योजना के संबंध में।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विर्मश हुआ। एजेण्डा नोट में उल्लिखित कारणों तथा योजना के VIABLE न होने के कारण सर्व-सम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए योजना को रद्द कर दिया गया और यह भी निर्देश हुआ कि जिन व्यक्तियों की धनराशि इस योजना के अर्न्तगत जमा है,उन्हें नियमानुसार साधारण ब्याज सहित धनराशि लौटा दी जाए तथा भविष्य में प्राधिकरण मसूरी में कोई आवासीय योजना बनाने हेतु समुचित भूमि की तलाश करें।

विषय क्रमांक:-02 बजट

समयाभाव के कारण बजट पर चर्चा नहीं हो सकी। सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि बजट प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। तब तक अध्यक्ष महोदय की अनुमति से व्यय कर लिया जाए।

विषय क्रमांक:-03 देहरादून महायोजना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में

इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार-विर्मश करने के उपरान्त सर्व-सम्मति से देहरादून महायोजना के पुनरीक्षण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया परन्तु विसंगतियों को दूर करने के उद्धेश्य से विस्तृत अध्ययन कर विचारणीय बिन्दुओं पर संस्तुतियां देने हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य रखे गए:-

क्रमश:----3-

1- जिलाधिकारी,देहरादून।

2- उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0,देहरादून।

3- अध्यक्ष,नगरपालिका,देहरादून।

4- सहयुक्त ~~नियोजक~~ गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड,देहरादून।

यह भी निर्णय लिया गया कि सहयुक्त नियोजक उक्त समिति की बैठक तुरन्त करने हेतु संयोजक के रूप में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। समिति से यह अपेक्षा की गयी कि वह आगामी बैठक में अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगी।

विषय क्रमांकः-04 ग्राम कांवली में आवासीय योजना हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी,क्योंकि पिछले सात वर्षो से भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सका है एवं न ही उक्त भूमि पर व्यक्तिगत भूखण्डों पर मानचित्र स्वीकृत करना सम्भव हो सका है अतः यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 गुण दोष के आधार पर यह निर्णय लें कि उन्हें कितनी भूमि की आवश्यकता है एवं यदि आवश्यकता नहीं हो तो उक्त भूमि पर मानचित्र आदि स्वीकृत करने की कार्यवाही कर सकते हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व की दरों पर आपसी वार्ता के द्वारा आवश्यकता के अनुरूप यदि भूमि क्रय की जा सकती है तो उसके लिये कार्यवाही की जाए क्योंकि उपरोक्त स्थल पर इंन्दिरापुरम आवासीय योजना विकसित हो जाने से काफी सुविधाएं पूर्व से विद्यमान हैं।

विषय क्रमांकः-05 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.9.92 के विषय क्रमांक-11, 13 एवं 15 पर गठित उप समिति की संस्तुतियों पर विचार।

(1) मैं0 विजय लक्ष्मी इण्टरप्राईजेज तथा स्टेट बैंक इम्पलाईज सहकारी आवास समिति लि0 के तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अवलोकनोपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि महायोजना में विर्निदिष्ट नियमों के अनुक्रम में तलपट मानचित्र का परीक्षण कराते हुए मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाए।

क्रमश-----4-

443

(2) मैं0 अग्रवाल फिलिंग स्टेशन द्वारा खसरा नम्बर-16 चक अजबपुरकलां हरिद्वार रोड़ पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के पेट्रोल पम्प की स्वीकृति विषयक।

उप समिति द्वारा की गई संस्तुतियों को मध्यनजर रखते हुए सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि महायोजना में दिए गए प्रतिबन्धों के अनुरूप मानचित्र का परीक्षण कराते हुए स्वीकृति प्रदान करने हेतु उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 को अधिकृत किया गया। यह भी निर्देश हुए कि मानचित्र पारित करने से पूर्व यह देख लिया जाए कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा आवेदक को पेट्राल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया हो। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त पेटोल पम्प पर दुकान इत्यादि बनाने की अनुमति न दी जाए।

(3) मैं0 आनन्द ट्रस्ट के ग्राम बंजारावाला स्थित स्कूल भवन मानचित्र विषयक।

विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सर्व-प्रथम जिला मैजिस्ट्रेट देहरादून से ट्रस्ट के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाए। इसी के आधार पर ही मानचित्र को स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 अपने स्तर से करें।

विषय क्रमांकः-06 विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयत सेवाओं के विनियमन हेतु आदर्श अकेन्द्रीयत सेवा नियमावली के प्रारूप (माडल) के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयत सेवा नियमावली का सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांकः-07 मैं0 दून पैराडाईज सहकारी आवास समिति की प्रस्तावित आवासीय कालोनी के सम्बन्ध में।

विस्तृत चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।

क्रमश-----5--

(443)

विषय क्रमांकः-08 राजपुर रोड़ पर व्यावसायिक भवन निर्माण से सम्बन्धित भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

(1) श्री राजेन्द्र नाथ द्वारा राजपुर रोड़ स्थित व्यावसायिक भवन निर्माण मानचित्र सम्बन्धी।

चर्चा के उपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि बिन्दु संख्या-3 के अन्तर्गत गठित समिति इस मामले पर विचार कर अपनी संस्तुति दें। समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाहही प्रस्तावित किए जाने के निर्देश हुए।

(2) श्री पन्ना लाल अरोड़ा व श्री महेश अरोड़ा द्वारा 72 राजपुर रोड़ में रेस्टोरेण्ट के निर्माण निर्माण के सम्बन्ध में।

चर्चा के उपरान्त सर्व-सम्मति से विषय क्रमांक-8(1) के अनुसार ही इस मामले में भी कार्यवाही करने के निर्देश हुए।

(3) मैं0 दुबे कान्स्ट्रक्शन कं0 लि0 हरिद्वार द्वारा राजपुर रोड़ स्थित होटल सुरप्राईज के भवन मानचित्र सम्बन्धी।

विचार-विर्मश के उपरान्त सर्व-सम्मति से विषय क्रमांक -8 (1) के अनुसार ही इस मामले में भी कार्यवाही करने के निर्देश हुए।

विषय क्रमांकः-09 श्री भगवन्त सिंह द्वारा हरिद्वार रोड़ पर स्थित शापिंग काम्पलैक्स के मानचित्र सम्बन्धी ।

विचार-विर्मश के उपरान्त प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अस्वीकृत कर दिया गया।

विषय क्रमांकः-10 श्री छत्रपाल शर्मा, प्रथम श्रेणी लिपिक एवं श्री चन्द्रप्रकाश आहूजा ड्राफ्टसमैन के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में।

विचार-विर्मश के उपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0, एवं अध्यक्ष,नगरपालिका,देहरादून से इस सम्बन्ध में विचार-विर्मश कर अपने स्तर से मामले का निस्तारण कर लें।

क्रमश-----6-

अन्य विषयः- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

अनुपरक विषय क्रमांकः- 01 श्री प्रेम कश्यप द्वारा बगराल गांव जिला देहरादून में प्रस्तावित इण्टर नेशनल,चिल्ड्रन एकादमी के मानचित्र की स्वीकृति विषयक।

विचार विर्मश के उपरान्त सर्व-सम्मति से विषय क्रमांक -8 (1) के अनुसार ही इस मामले को भी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश हुए,समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए।

(प्रमांशु)	(डा0प्रभात कुमार)	(एस0के0दास)
सचिव,	उपाध्यक्ष	आयुक्त/अध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0	म0दे0वि0प्रा0	म0दे0वि0प्रा0

पुष्टि की गई।

26/8/93

(आयुक्त/अध्यक्ष)